

# प्रेस नोट थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर दिनांक 04.04.2024

## 01 अदद अवैध तमंचा व 01 अदद जिन्दा के साथ 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जाने रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ के पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक गुलरिहा मय पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर दौराने चेकिंग अभियुक्त रामदुलारे चौहान पुत्र स्व0 बाके उर्फ बऊका निवासी ग्राम सरैया थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर को 01 अदद अवैध तमंचा व 01 अदद जिन्दा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 276/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता व अपराधिक इतिहास-

रामदुलारे चौहान पुत्र स्व0 बाके उर्फ बऊका निवासी ग्राम सरैया थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर

1. मु0अ0सं0 309/2018 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर
2. मु0अ0सं0 678/2023 धारा 380/411 भादवि थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर
3. मु0अ0सं0 274/2019 धारा 60 आबकारी अधिनियम व 272 भादवि थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर
4. मु0अ0सं0 276/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर

### बरामदगी-

01 अदद अवैध तमंचा व 01 अदद जिन्दा कारतूस

### गिरफ्तारी की टीम-

1. प्र0नि0 शशिभूषण राय थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर
2. उ0नि0 अंजनी कुमार तिवारी थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर
3. का0 प्रवीण कुमार थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर
4. का0 विनोद कुमार थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर